# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS) 8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(32)/LA-2006/LJ/07/368

Dated: 17-1-07

#### **NOTIFICATION**

No.F.14(32)/LA-2006/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 16<sup>th</sup> January, 2007 and is hereby published for general information:-

## "THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2007 (DELHI ACT 1 OF 2007)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 8<sup>th</sup> January, 2007).

[16<sup>th</sup> January, 2007]

An Act further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title and commencement.** (1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment ) Act, 2007.

EVS)

2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 3.** - In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), for the first proviso to sub-section (6) of section 3, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the total number of seats shall in no case be more than three hundred or less than two hundred and seventy-two:" "

(Rakesh Syal)

Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं.फा. 14(32)/एल.ए.-2006/ 368

दिनांक 17 - 1 - 0 7

### अधिसूचना

संख्या फा. 14(32) / एल.ए.—2006 / —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 16 जनवरी, 2007 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई तथा एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 1)

( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा दिनांक ८ जनवरी, 2007 को यथा पारित)

[16 जनवरी, 2007]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ .— (1) इसे दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाए ।
  - (2) यह तत्काल से प्रभावी होगा ।
- 2.. धारा 3 का संशोधन .— दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) कीं धारा 3 की उप—धारा (6) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में कुल सीटों की संख्या तीन सौ से अधिक या दो सौ बहत्तर से कम नहीं होगी:" "

राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग)